



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/ATY-1664/JH/94/2024-RO-RNC

दिनांक: 30.12.2024

सेवा में,

- श्री मंजूनाथ भजन्ती**
उपायुक्त,
जिला - रांची
उपायुक्त कार्यालय,
समाहरणालय भवन,
रांची, झारखंड -834001
Email Id: dc-ran@nic.in
- श्री चंदन कुमार सिन्हा**
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
जिला - रांची
कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
कचेरी चौक, डिप्टी पारा, अहिरटोली,
रांची, झारखंड 834001
Email Id: ssp-ranchi@jhpolic.gov.in

विषय: अभ्यावेदिका श्रीमती सुनीता तिग्गा, निवासी नया लटमा -, चोरिया टोली थाना जगरनाथपुर -, रांची, झारखण्ड से प्राप्त अभ्यावेदन जमीन के संबंध में धोखाधड़ी करने ", विरोध पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौच करने व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में।


संदर्भ: उपायुक्त सह-जिला दण्डाधिकारी, रांची पत्र सं 3561 (ii) दिनांक 13.08.2024

महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है।

- डॉ आशा लकडा, माननीया सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण / जांच /की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, सम्मेलन कक्ष, 6 वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **06.01.2025 को 12:20 P.M.** बजे सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।
- तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप** से और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
- कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड 8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

भवदीय


(एच.आर.मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID : hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रति, सिटिंग में उपस्थित होने के लिए सूचनार्थ:

श्रीमती सुनीता तिग्गा,
निवासी नया लटमा,
चोरिया टोली थाना
जगरनाथपुर, रांची, झारखण्ड,
Mobile No:8603971773

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)

NIC for uploading